

## परिशिष्ट- 5

### उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

#### (1) अनुग्रह अनुदान/जीवन निर्वाह हेतु प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम (स्पष्ट शब्दों में).....
2. आयु.....
3. पूरा पता.....
4. बच्चों /आश्रितों की संख्या (पुरुष, महिला और उनकी आयु सहित).....
5. प्रार्थी/प्रार्थिनी का कैन्युअल्टी से सम्बन्ध.....
6. कैन्युअल्टी का नाम, नम्बर, रैक तथा यूनिट का नाम.....
7. कैन्युअल्टी का दिनांक.....  
 (अ) कैन्युअल्टी की प्रकृति (मूल्य/अपेगता)  
 (ब) अपेगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र सहित)  
 (स) कैन्युअल्टी का स्थान:-
8. संरक्षक का नाम.....  
 (अ) व्यवसाय/धर्म का विवरण:-.....  
 (ब) मासिक आय.....
9. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा कोई मिलिट्री/सिविल पेशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दे:-.....
10. क्या प्रार्थी/प्रार्थिनी किसी शिल्प (क्राफ्ट) में प्रशिक्षण प्राप्त करने का/की इच्छुक है ?  
 यदि हो तो उस प्रशिक्षण का प्रकार इंगित करें:-.....
11. यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी को इससे पूर्व भी संस्थान द्वारा अनुग्रह अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृत की गई हो तो उसका पूर्ण उल्लेख करें(प्राप्ति का चर्चा दिनांक सहित).....
12. कितनी धनराशि की आवश्यकता है:-.....

दिनांक.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी का  
हस्ताक्षर

13. आर्थिक सहायता हेतु सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक की संस्तुति  
 (जितनी धनराशि इस मामले में बे देना उचित समझे उसका उल्लेख करें)

सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी  
महानिदेशक के हस्ताक्षर मुहर सहित

**नोट:-** प्रार्थना-पत्र केवल सम्बन्धित अभिलेख अधिकारी/पुलिस/पीएसी महानिदेशक के माध्यम से ही उनकी संस्तुति एवं कालम 1 से 12 तक की प्रविष्टियों की पुष्टि सहित भेजे जायें अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।